न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

नक्ल दर्ख्वास्त
अहकाम जारी
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अपील/ 18/2021

शिव्वो उर्फ शिवराम पुत्र मवासी राम जाति ठाकुर निवासी पीपला तहसील व जिला भरतपुर
....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर
.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 13.7.2020 इन्तकाल नं. 1621 बाके ग्रांम पीपला प्रथम ।

उपस्थितः–

1–श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम, अभिभाषक अपीलान्ट,

2–पैरोकार सरकार,

आदेश **दिनांक 12.7.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश नायब तहसीलदार भरतपुर दिनांक 13.7.2020 इन्तकाल नं. 1621 बाके ग्रांम पीपला प्रथम तहसील भरतपुर के पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 1621 दिनांक 13.7.2020 को डिक्री इजराय प्राप्त नहीं होने के कारण खारिज किये जाने के आदेश पारित किया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। नायब तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त सत्यापित फोटो प्रति नामान्तकरण संख्या 1621 शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने पहले तो नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया, बाद में पटवारी ने नामान्तकरण पर यह लिख कर कि डिक्री इजराय पेश नहीं हुई है अंकित कर दिया गया, इसी आधार पर तहत न्यायालय ने नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि प्रार्थी ने ए0सी0एम0 कोर्ट भरतपुर द्वारा जारी डिक्री एवं इजराय कागजात तहसीलदार भरतपुर को पेश किये गये थे, इसके बाद तहसीलदार के निर्देशानुसार भूमि पैराफैरी में होने से उसकी फीस भी अपीलान्ट ने जमा कराई थी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 11.6.2021 के बताने पर हुई थी। प्रार्थी ने इसके बाद जांच कर नकल वगे. लेकर अन्दर म्याद अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। वक्त बहस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र मय फोटो प्रति इजराय एवं निर्णय प्रति पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार भरतपुर को नामान्तकरण दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपील/ 18/2021
शिब्बो उर्फ शिवराम बनाम सरकार

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अगर तहत न्यायालय में इजराय डिक्री प्राप्त होगई हो तो तहत न्यायालय अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया जासकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकरान के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1621 दिनांक 13.7.2020 का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया ।
आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

> Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–
" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

इस प्रकार प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तकरण संख्या 1621 पर हो रही रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट है कि पहले तो पटवारी ने न्यायालय आदेश का हवाला देते हुये नामान्तकरण दर्ज कर दिया, उसके बाद फिर डिक्री इजराय प्राप्त नहीं होने का अंकन किये जाने के आधार पर तहत न्यायालय ने इजराय डिक्री इजराय प्राप्त नहीं होने से नामान्तकरण निरस्त किया गया है। वक्त बस योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायालय इजराय एवं निर्णय फोटो प्रति से स्पष्ट है कि सक्षम न्यायालय से इजराय जारी हुई है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1621 दिनांक 13.7.2020 ग्रांम पीपला प्रथम तहसील भरतपुर खारिज किया जाता है। नायव तहसीलदार द्वितीय भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण की जांच कर पक्षकार को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर